क्रम-संख्या–348

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2545/79–वि–1–07-1(क)47/2007

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 सन् 2007)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 20 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय–दो

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 का सामान्य संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उप प्रधान" जहाँ कहीं भी आये हों, जिसके अन्तर्गत पार्श्व शीर्षक भी है, को निकाल दिया जायेगा।

धारा 11-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 11-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा।"

धारा 11–ग का निकाला जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 11-ग को निकाल दिया जायेगा।

धारा 12-ञ का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 12-ञ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"12–ञ–जब प्रधान का पद मृत्यु हटाये जाने, त्याग-पत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो या जब प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो विहित प्राधिकारी प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को तब तक के लिए नाम-निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भरी नहीं जाती है या जब तक कि प्रधान की ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती है।"

धारा 14-ख का निकाला जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 14-ख को निकाल दिया जायेगा।

धारा 28-क का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 28-क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) प्रधान भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल उसका सचिव होगा।"

धारा 114 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 114 में, शब्द "प्रधान और उपप्रधान दोनों के पदों में रिक्तियां" के स्थान पर शब्द "प्रधान के पद में रिक्ति" रख दिये जायेंगे।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 का सामान्य संशोधन

9–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उप प्रमुख", "ज्येष्ठ उप प्रमुख", "कनिष्ठ उप प्रमुख" और "उपाध्यक्ष", जहां कहीं भी आये हों जिसके अन्तर्गत पार्श्वांकित शीर्षक और अनुसूची भी है, निकाल दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

" (3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रारम्भ होने के पूर्व उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुये व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक इस रूप में पद को धारण किये रहेंगे मानों उक्त अधिनियम न बनाया गया हो।

धारा 9 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) जब प्रमुख का पद रिक्त हो तब प्रमुख का निर्वाचन होने तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।"

धारा 9-क का प्रतिस्थापन

12—मूल अधिनियम की धारा 9-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"9—क—कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था—जब प्रमुख अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक प्रमुख अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर ले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे।"

धारा 15 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(क) उपधारा (11) में, शब्द "कम से कम दो-तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे से अधिक" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (12) और उपधारा (13) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 21-क का प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 21-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"21—क कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था—जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिस दिनांक तक अध्यक्ष अपना पदभार फिर से न ग्रहण कर लें, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह ठीक समझे।"

धारा 27-क का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 27-क में, शब्द "प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" जहां कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द "प्रमुख या अध्यक्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (11) में, शब्द "कम से कम दो-तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे से अधिक" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (12) और उपधारा (13) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 60 का निकाला जाना

17—मूल अधिनियम की धारा 60 को निकाल दिया जाएगा।

धारा 61 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (2) में शब्द "अथवा जिले से उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 64 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

धारा 66 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 66 में,—

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

(2) अध्यक्ष कार्य समिति का सभापति होगा।

धारा 82 और धारा 83 का निकाला जाना

21—मूल अधिनियम की धारा 82 और 83 को निकाल दिया जाएगा।

धारा 84 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 84 में, उपधारा (2) में, शब्द "अथवा खण्ड से उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ उप प्रमुख अथवा यदि खण्ड से ज्येष्ठ उप प्रमुख भी अनुपस्थित हो तो कनिष्ठ उप प्रमुख" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 88 का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 88 में,–

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :–

"(2) प्रमुख, कार्यसमिति का पदेन सदस्य होगा और कार्यसमिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति का सभापति होगा।"

(ख) उपधारा (3), उपधारा (3–क) और उपधारा (4) निकाल दी जायगी।

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(5) अपने गठन के पश्चात् यथाशीघ्र धारा 87 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य समिति से भिन्न प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति निर्वाचित करेगी।

धारा 89 का संशोधन

24–मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) धारा 87 में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति के सदस्यों और अन्य पद धारकों का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।"

निरसन और अपवाद

25–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947) में प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान एवं उपप्रधान के पदों की व्यवस्था की गयी थी और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) में प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में प्रमुख, उपप्रमुख, (ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुख) और प्रत्येक जिला पंचायत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की व्यवस्था की गयी थी। यह विनिश्चय किया गया है कि उन पदों, जिनके सम्बन्ध में संविधान में कोई प्राविधान नहीं है, अर्थात उपप्रधान, उप प्रमुख (ज्येष्ठ उपप्रमुख एवं कनिष्ठ उपप्रमुख) तथा उपाध्यक्ष के पदों के प्राविधानों को निकालने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अव्वास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 2545/LXXIX-V-1-1(Ka)47/2007
Dated, Lucknow December 10, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 44 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 9, 2007 :-

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. Act No. 44 of 2007)

(As Passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty eighth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 20, 2007.

CHAPTER-II
AMENDMENT OF THE UNITED PROVINCES PANCHAYAT RAJ ACT, 1947

General Amendment of U.P. Act no. 26 of 1947

2. In the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, the word "Up-Pradhan" wherever occurring including the marginal headings, shall be *omitted.*

Amendment of section 11-A

3. In section 11-A of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely,—

"(1) There shall be a Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairperson thereof."

Omission of section 11-C

4. Section 11-C of the principal Act shall be *omitted.*

Substitution of section 12-J

5. *For* section 12-J of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :-

Temporary arrangement in certain cases.

"12-J-Where the office of Pradhan is vacant by reason of death, removal, resignation or otherwise or where the Pradhan is incapable to act by reason of absence, illness or for any reason whatsoever, the prescribed authority shall nominate a member of the Gram Panchayat, to discharge the duties and exercise the powers of Pradhan until such vacancy in the office of the Pradhan is filled in, or until such incapacity of Pradhan is removed."

Omission of section 14-B

6. Section 14-B of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 28-A

7. In section 28-A of the principal Act, *for* sub-section (2), the following su section shall be *substituted,* namely :-

"(2) The Pradhan shall be the Chairperson of the Bhumi Prabandh Samiti and the Lekhpal of the area comprised in the jurisdiction of the Gra Panchayat shall be its Secretary."

Amendment of section 114

8. In section 114 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the wor "vacancies in the offices of both Pradhan and Up-Pradhan" the words "vacancy i the office of Pradhan" shall be *substituted.*

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS ADHINIYAM, 1961

General Amendment of U.P. Act no. 33 of 1961

9. In the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, the words "Up-Pramukh" "Senior Up-Pramukh", "Junior Up-Pramukh" and "Upadhyaksha" wherever occurring including the marginal headings and Scheduleds, shall be *omitted.*

Amendment of section 7

10. In section 7 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, the persons who have been elected to the office of the Up-Pramukh before the commencement of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 2007 shall continue to hold the office as such till the expiry of their term as if the said Act were not enacted."

Amendment of section 9

11. In section 9 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(2) Where the office of the Pramukh is vacant, the District Magistrate may, by order, make such arrangement as he thinks fit for the discharge of the functions of the Pramukh, till the Pramukh is elected."

Substitution of section 9-A

12. *For* section 9-A of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :-

Temporary arrangement in certain cases.

"9-A. When the Pramukh is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the District Magistrate may, by order, make such arrangement, as he thinks fit, for the discharge of the functions of the Pramukh until the date on which the Pramukh resumes his duties."

Amendment of section 15

13. In section 15 of the principal Act,—

(a) in sub-section (11) *for* the words "not less than two-thirds" the words "more than half" shall be *substituted.*

(b) in sub-section (12) and sub-section (13) *for* the words "two years" the word "one year" shall be *substituted.*

Substitution of section 21-A

14. *For* section 21-A of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :-

Temporary arrangement in certain cases

"12-A. When the office of the Adhyaksha is vacant or he is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the State Government may by order, make such arrangement, as it thinks fit, for the discharge of the functions of such Adhyaksha until the date on which the Adyaksha resumes his duties.

Amendment of section 27-A

15. In section 27-A of the principal Act, *for* the words "Pramukh, Up-Pramukh, Adhyaksha or Upadhyaksha", wherever occuring the words "Pramukh or Adhyaksha" shall be *substituted.*

Amendment of section 28

16. In section 28 of the principal Act, —

(a) In sub-section (11) *for* the words "not less than two-thirds" the words "more than half" shall be *substituted,*

(b) In sub-section (12) and sub-section (13) *for* the words "two years" the words "one year" shall be *substituted.*

Omission of section 60

17. Section 60 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 61

18. In section 61 of the principal Act, in sub-section (2) the words "or in his absence from the District, the Upadhyaksha" shall be *omitted.*

Amendment of section 64

19. In section 64 of the principal Act, in sub-section (2) clause *(b)* shall be *omitted.*

Amendment of section 66

20. In section 66 of the principal Act–

(a) in sub-section (1) clause *(b)* shall be *omitted.*

(b) for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

(2) The Adhyaksha shall be the chairperson of the Karya Samiti.

Omission of section 82 and section 83

21. Sections 82 and 83 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 84

22. In section 84 of the principal Act, in sub-section (2) the words, "or in his absence from the Khand the Senior Up Pramukhs, or if the latter is also absent from the Khand, the Junior Up-Pramukh", shall be *omitted.*

Amendment of section 88

23. In section 88 of the principal Act–

(a) for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

"(2) The Pramukh shall be the *ex-officio* Chairman of Vitta Evam Vikas Samiti, Shiksha Samiti and Samta Samiti."

(b) sub-sections (3), (3-A) and (4) shall be *omitted.*

(c) for sub-section (5) the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

"(5) As soon as may be after their Constitution each committee specified in sub-section (1) of section 87, other than Karya Samiti, shall at its first meeting elect one of their members to be the Vice-Chairman."

Amendment of section 89

24. In section 89 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

"(1) The elections of members and other office-bearers of every committee referred to in section 87 shall be in such manner as may be prescribed."

Repeal and Savings

U.P. Ordinance no. 26 of 2007.

25. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Acts as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (U.P. Act no. 26 of 1947) provided for the offices of Pradhan and Up-Pradhan in every Gram Panchayat and the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961) provided for the offices of Pramukh, Up-Pramukh (Senior Up-Pramukh and Junior Up-Pramukh) in every Kshettra Panchayat and Adhyaksha and Upadhyaksha in every Zila Panchayat. It was decided to amend the said Acts to omit the provisions of the offices in respect of which there is no provision in the Constitution namely the offices of Up-Pradhan, Up-Pramukh (Senior Up-Pramukh and Junior Up-Pramukh) and Upadhyaksha.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 26 of 2007) was promulgated by the Governor on August 20, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

S. M. A. ABIDI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 770 राजपत्र--(1868)--2007--597 प्रतियां--(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 390 सा० विधायी--(1869)--2007--850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।